राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2 (एस.ई.ए.सी.–2), छत्तीसगढ़ की दिनांक 31/07/2025 को संपन्न 672वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

––––00––––

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2 (एस.ई.ए.सी.–2), छत्तीसगढ़ की दिनांक 31/07/2025 को श्री विक्रम सिंह लाकड़ा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2 की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. थुलासिंगम कलाइचेलवन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2
2. डॉ. कोसियाथु राघवन नायर हरि, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2
3. श्री निलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2
4. श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2
5. श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति–2

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **परिवेश 1.0 पोर्टल में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.– श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2099)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 79524 एवं 04/07/2022 ई.सी. – 451502 एवं 06/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.866 हेक्टेयर एवं 50,913.75 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल इन्व्हायरो प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गौस उपस्थित हुए।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 श्री नंदकिशोर अग्रवाल, 85/1, 85/2, 86/2 श्री अंकित अग्रवाल के नाम पर है।	खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू–स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 पी2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पूर्व में जारी ई.सी.	1. पूर्व में आवेदक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022 2. पूर्व में आवेदक – श्री मनोज ठाकुर खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84, 85/1,	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से क्रमशः दिनांक 13/02/2023, 13/02/2023 एवं 09/01/2023 तक वैध थी।

	85/2 एवं 86/2, क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर क्षमता – 9,664.67 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022 3. पूर्व में आवेदक – श्री अंकित कुमार अग्रवाल खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 66 क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर क्षमता – 30,225 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 10/01/2017 वैधता अवधि – 09/01/2022	
पूर्व में जारी ई. सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – नहीं **क्षमता विस्तार के तहत् –** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017–18 में 7,685 टन 2018–19 में 11,660 टन 2019–20 में 13,415 टन 2020–21 में 12,140 टन 2021–22 में 8,000 टन 2. श्री विवेक अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017–18 में निरंक 2018–19 में निरंक 2019–20 में निरंक 2020–21 में 3,000 टन 2021–22 में निरंक	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018–19 में 11,660 टन, 2019–20 में 13,415 टन एवं 2020–21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। 2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज ठाकुर के नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की

	3. श्री अंकित अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017–18 में 4,260 टन 2018–19 में 17,115 टन 2019–20 में 7,395 टन 2020–21 में 13,965 टन 2021–22 में 12,610 टन	जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत रानीजरौद दिनांक 19/02/2014	क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/05/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 05/07/2022	33 खदानें, रकबा 62.363 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 05/07/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड का विवरण	1. लीज धारक – श्री विवेक कुमार अग्रवाल खसरा क्रमांक – 84, 85/1, 85/2, 86/2 कुल क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर वैधता अवधि – 27/07/2006 से 26/07/2036 2. लीज धारक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 कुल क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर वैधता अवधि – दिनांक 15/01/2009 से 14/01/2039 तक 3. लीज धारक – श्री अंकित अग्रवाल खसरा क्रमांक – 66 कुल क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर वैधता अवधि – दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2047 तक 4. शामिल क्षेत्र नियम 57 (6) के अनुसार • लीज धारक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खसरा क्रमांक – 80 कुल क्षेत्रफल – 0.06 हेक्टेयर	समामेलन पश्चात् कुल क्षेत्र – 2.866 हेक्टेयर

	• लीज धारक – शासकीय भूमि खसरा क्रमांक –84 कुल क्षेत्रफल – 0.04 हेक्टेयर • लीज धारक – श्री अंकित अग्रवाल खसरा क्रमांक –85/2 कुल क्षेत्रफल – 0.03 हेक्टेयर	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/10/2022	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – रानीजरौद 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – रानीजरौद 1.5 कि.मी अस्पताल – सुहेला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 35 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 17,62,460 टन माईनेबल 7,23,545 टन रिकव्हरेबल 6,87,367 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 14.3 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – हाँ क्षेत्रफल – 600 वर्गमीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,913.50 टन द्वितीय 50,913.50 टन तृतीय 47,812.50 टन चतुर्थ 50,775.00 टन पंचम 50,892.50 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,780 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ

ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 6,995 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,755 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,32,900 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 681, दिनांक 22/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 $PM_{2.5}$ – 19.92 से 19.56 µg/m^3 PM_{10} – 123.2 से 139.23 µg/m^3 SO_2 – 7.22 से 8.35 µg/m^3 NO_2 – 15.23 से 18.81 µg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 49.4 से 53.7 Night L_{eq} – 39.2 से 42.8 PM_{10} का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य – जनवरी 2024 से फरवरी 2024 $PM_{2.5}$ – 22.6 से 41.4 µg/m^3 PM_{10} – 61.9 से 93.8 µg/m^3 SO_2 – 8.9 से 14.9 µg/m^3 NO_2 – 10.7 से 17.6 µg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 48.1 से 53.2 Night L_{eq} – 42.3 से 48.2 निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 08 भू–जल – 03 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 04 मिट्टी के नमूने – 03 अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 08 भू–जल – 06 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पी.सी.यू. की गणना	**पक्का रोड हेतु** वर्तमान में 250 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 550 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	**पक्का रोड हेतु** लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 96.81 µg/m^3 है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय – प्रातः 10:00 बजे स्थान – ग्राम – रानीजरौद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील – सिमगा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. ग्राम वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगो को रोजगार मिले। 2. ब्लॉस्टिंग से ग्रामवासियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। ब्लॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। 3. गॉव का जल स्तर नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	**निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–** 1. खदान चालू होने से ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 33 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,39,16,500 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,83,449 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैः– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा

		पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 65.229 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलगमेशन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा के खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 में खनिज चूना पत्थर मात्रा–480 टन का अवैध रूप से खनन किये जाने के संबंध में श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा अर्थदण्ड राशि 2,19,400 रूपये जमा की गई है, जिसके रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh**

				Rupees)
50.6	2%	1.01	Following activities at Nearby, Govt. Primary school at, **Village- Khapri**	
			Plantation	3.12
			Total	**3.12**

6. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 7,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,28,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,71,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,41,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 एवं 28/01/2022 के माध्यम से उल्लंघन की प्रकरण हेतु एस.ओ.पी. तैयार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Stay of operation of the Office Memorandum dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"5. We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021.

6. Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.

7. We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above."

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} – 123.2 से 139.23 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का

किया गया है, जिसमें PM_{10} – 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018–19 में 11,660 टन, 2019–20 में 13,415 टन एवं 2020–21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अनुसार Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज ठाकुर के नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू–स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं पी2) प्रस्तुत किया जाए।
5. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

10. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

11. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

14. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस. ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोंपरात छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 22/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 277, दिनांक 12/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तो का पालन किया जाना बताया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में उत्पादन आंकड़े की जानकारी भण्डारण के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में पुनः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1224/बी 3–3/न.क्र. 10/2008, दिनांक 04/10/2024 के माध्यम से जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	उत्पादित खनि की मात्रा (टन में)
1.	2017–18	7,800
2.	2018–19	9,500
3.	2019–20	10,957
4.	2020–21	10,550
5.	2021–22	6,000

उपरोक्त विवरण अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्खनन की अधिकतम मात्रा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की मात्रा से कम है।

3. खदान के समामेलन के पूर्व में तीन अलग–अलग खदान थी, जिसमें से एक खदान श्री मनोज ठाकुर के नाम पर थी जो दिनांक 23/12/2019 को श्रीमान कलेक्टर महोदय, बलौदाबाजार की अनुशंसा से श्री विवेक अग्रवाल को हस्तांतरित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01/04/2022 को संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर के आदेश से श्री विवेक अग्रवाल, श्री नन्द किशोर अग्रवाल एवं श्री अंकित अग्रवाल की खदानों को श्री विवेक अग्रवाल के नाम से समामेलन

किया गया है। श्री मनोज ठाकुर से श्री विवेक अग्रवाल को लीज हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

4. खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू–स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं पी2) प्रस्तुत किया गया है।

5. क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत रानीजरौद का दिनांक 18/10/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/852 बलौदाबाजार, दिनांक 20/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन कक्ष क्रमांक 24 खैरवारडीह की सीमा से 10.5 कि.मी., निकटतम वन्यजीव अभ्यारण बारनवापारा 52.7 कि.मी. एवं लीज क्षेत्र से निकटतम टायगर रिजर्व अचानकमार 98.3 कि.मी. दूर है।

7. खदान पूर्व से संचालित है। अतः अधिकतम ऊपरी मिट्टी पहले से ही निकाली जा चुकी है वर्तमान में 6,995 घनमीटर ऊपरी मिट्टी शेष बची हैं जिसे 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा।

8. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 197/बी 3–3/न.क्र. 41/2006 बलौदाबाजार, दिनांक 25/04/2024 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 26 खदानें, क्षेत्रफल 57.153 हेक्टेयर है।

10. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–खपरीकला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् स्कूल के प्रार्चाय का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM_{10} की मात्रा में अंतर पाये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान खनन गतिविधि कुछ अधिक था, जिसके कारण PM_{10} की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में वातावरण में नमी के कारण PM_{10} का मान कुछ कम पाया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन प्रकिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण तथा क्रशर प्लान के हॉफर बंकर से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।

14. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा एवं क्रेशर प्लांट में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा।

15. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय,

भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियामानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.– श्री विवेक अग्रवाल) को ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान (डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा तीन खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समायोजन के तहत्) कुल क्षेत्रफल–2.866 हेक्टेयर, क्षमता – 50,913.50 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2025 को संपन्न 194वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक–पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी तीनों पर्यावरणीय स्वीकृति का दायित्व समाप्त किया गया है अथवा नहीं? तथा पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में वृक्षारोपण कार्य किया जाना था, वह किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 02/07/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 30/07/2025 के माध्यम से 672वीं बैठक दिनांक 31/07/2025 को रखा गया है।

(इ) समिति की 672वीं बैठक दिनांक 31/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक–पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त तीनो लीज के अलग–अलग पर्यावरण स्वीकृति अनुसार तीनों का अलग अलग पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण बोर्ड कबीर नगर रायपुर से प्राप्त किया गया एवं दिनांकः 12/04/2024 को प्रदुषण संरक्षण बोर्ड पर्यावास भवन, अटल नगर, नया रायपुर छ.ग. में जमा किया गया, जिसके अनुसार–

1. पूर्व में आवेदक – श्री अंकित कुमार अग्रवाल
   खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान
   खसरा क्रमांक 66
   क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर
   क्षमता – 30,225 टन प्रतिवर्ष
   दिनांक – 10/01/2017

   पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 238, दिनांक 09/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तो का पालन किया जाना बताया गया है।

   श्री अंकित अग्रवाल के द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 50 नग वृक्षारोपण किया गया है।

2. पूर्व में आवेदक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल
   खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान
   खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4
   क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर
   क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष
   दिनांक – 14/02/2017

   पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 163, दिनांक 04/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तो का पालन किया जाना बताया गया है।

   श्री नंदकिशोर अग्रवाल के द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 30 नग वृक्षारोपण किया गया है।

3. पूर्व में आवेदक – श्री मनोज ठाकुर
खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान
पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2,
क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर
क्षमता – 9,664.67 टन प्रतिवर्ष
दिनांक – 14/02/2017

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 277, दिनांक 12/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तो का पालन किया जाना बताया गया है।

श्री मनोज ठाकुर के द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 40 नग वृक्षारोपण किया गया है।

4. इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष लीज क्षेत्र के चारों ओर 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। जिसका फोटोग्राफ संग्लन हैं। सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, खपरी में भी 300 नग वृक्षारोपण किया गया हैं। स्कूल का सी. ई.आर. में किये गये वृक्षारोपण कार्य का पूर्णता पत्र संलग्न किया गया हैं।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा तीन पर्यावरणीय स्वीकृति पृथक–पृथक जारी किया गया था। वर्तमान में तीनों खदानों को समायोजन कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तीनों खदानों को जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के दायित्व के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पुनः प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक में प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।